न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 121 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. ऐजी बाई पत्नी हीरालाल जाति धोबी आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादी

बनाम

1. शान्ता पत्नी भंवरलाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गोदूलाल पुत्र भंवरलाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. शम्भु पुत्र भंवरलाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. लाला पुत्र भंवर लाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 12.02.2026

–:निर्णयः–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा भोपालखेडा के हल्के बैरूनी में आ0नं0 918, 919, 920, 921, 925 कुल किता 05 कुल रकबा 1.44 हैक्ट0 स्थित है जो रेवेन्यु रेकार्ड में वादीया के नाम पर होकर वो ही लगान अदा करती है, कब्जा उसी का है जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है इन आराजीयात के साथ आ0चा0 915 भी स्थित है जिसका उपयोग करती आ रही है।

यह कि दिनांक 15.07.2012 को सुबह 10 बजे प्रतिवादीगण मेरी आराजी की चारो ओर खडे खोद सीमेन्ट के पाईप लगाना चाहा जिस पर मैने उन्हे रोक दिया तो लडाई झगडा करने पर उतारू हो व जबरन खड्डे खोदने व पाईप लगाने की धमकी दी जिससे बिनाय दावा पैदा हुई और स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हुआ कि वो स्वयं उनके नौकर एजेन्ट परिवार के सदस्य मेरे कब्जे की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी न करें न खड्डे खोदे और न पाइप लगावे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने से उन्हे कोई नुकसान नही है। न होने की दशा में वादी को अपार क्षति होगी जो रूपयों में नहीं आंका जा सकेगी व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी जिससे स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है अन्यथा भारी नुकसान अमन का अन्देशा है।

यह कि मेरे खाते कब्जे की आराजी में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करते है जबकि स्पष्ट कह दिया कि मेरी आराजी उतनी ही है जितनी तुम्हारी है और इसकी नपती कर स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद ही खड्डे खोदने को कहा तो उन्होने परवाह नही की जिससे बिनाय दावा दिनांक 15.07.2012 एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रही है।

व निवेदन किया कि मौजा भोपालखेडा की आराजी नं0 918, 919, 920, 921, 925 कुल किता 05 कुल रकबा 1.44 हैक्ट0 में प्रतिवादीगण स्वयं उनके नौकर एजेन्ट परिवारजन के सदस्य किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न स्वयं करे और न करावें। खड्डे न खोदे पाईप न गाढे। इस अमर की डिक्री वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पवन शर्मा का अधिकार पत्र मय जवाब दावा प्रस्तुत जो शा0फा0 है। तत्पश्चात तनकीयात कायम की गई निम्नानुसार है–

1. आया मौजा भोपालखेडा की आराजी संख्या 918, 919, 920, 921, 925 में प्रतिवादीगण दस्तन्दाती कर खडे खोद रहे है, पाइप गाडने को आमादा है?

    ––जिम्मेवादी

2. आया क्रॉसवाद की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आ0सं0 916, 917, 922,923, 924, 927 में क्रॉस वाद की प्रतिवादी व वाद की वादीया दस्तन्दाजी कर नुकसान पहुँचाती है?

    ––जिम्मे क्रॉस वाद वादीगण

3. आया क्रॉस वाद में वादीगण ने क्रॉस वाद में वाद पत्र भी मालियत अंकित नही की व मियाद का उल्लेख नही करने से क्रॉस वाद कानूनन खारिज के है–

    ––जिम्मे वादीगण

वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी में वादीया का शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये परन्तु जिरह हेतु गवाहान हाजिर नही आने से दिनांक 13.02.2025 को जिरह बन्द की गई। साक्ष्यप्रतिवादी प्रस्तुत नही होने से पूर्व में दिनांक 20.02.2025 को बन्द की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी संख्या 01–

आया मौजा भोपालखेडा की आराजी संख्या 918, 919, 920, 921, 925 में प्रतिवादीगण दस्तन्दाती कर खडे खोद रहे है, पाइप गाडने को आमादा है? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा वादी का था। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से उक्त आराजीयात वादी की खातेदारी आराजीयात है। प्रतिवादीगण द्वारा खड्डे खोदने व पाईप गाडने के सम्बन्ध में वादीया द्वारा कोई ठोस दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02–

1. आया क्रॉसवाद की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आ0सं0 916, 917, 922,923, 924, 927 में क्रॉस वाद की प्रतिवादी व वाद की वादीया दस्तन्दाजी कर नुकसान पहुँचाती है? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा क्रॉस वाद के वादीगण का था। क्रॉस वाद के वादीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त तनकी क्रॉस वाद के वादी सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः उक्त तनकी क्रॉस वाद के वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03–

आया क्रॉस वाद में वादीगण ने क्रॉस वाद में वाद पत्र भी मालियत अंकित नही की व मियाद का उल्लेख नही करने से क्रॉस वाद कानूनन खारिज के है? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा वादीया का था। तनकी संख्या 2 क्रॉस वाद के वादीगण द्वारा सिद्ध कराने में असफल रहने से उक्त तनकी वादीया के पक्ष में स्वतः सिद्ध होती है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा भोपालखेडा के हल्के बैरूनी में आ0नं0 918, 919, 920, 921, 925 कुल किता 05 कुल रकबा 1.44 हैक्ट0 स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी नही करें व हाल मौके की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) कपासन
(फास्ट–ट्रैक) कपासन